

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 06 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 3,00,000 /- (तीन लाख रुपए) तथा दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 07 मृतकों/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध)/दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रमावती देवी, 60, श्री राधवलाल सिंह, पिछड़ा वर्ग	श्री राधवलाल सिंह (पति)	1291, 31.12.2025, 289, 18.03.2026	ग्रा०-चनावे, पो०-लक्षवार, थाना-उचकागाँव, प्र०-थावे, जिला-गोपालगंज मो०-8084413175	39380 01700 24112 1	PNB, PUNB 03938 00	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० संध्या देवी, 38, बालेश्वर सिंह, सामान्य वर्ग	बालेश्वर सिंह (पति)	44, 12.01.2026, 289, 18.03.2026	ग्रा०-जलालपुर, पो०-नेचुआ जलालपुर, थाना+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज मो०-9934286953	00781 00596 17	IPPB, IPOS0 00000 1	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० कायदा खातुन, 50, जलालुद्दीन मिया, अत्यंत पिछड़ा जाति	जलालुद्दीन मिया (पति)	50, 12.01.2026, 289, 18.03.2026	ग्रा०+पो०-सुरहियाँ, थाना+प्र०-सिधवलिया, जिला-गोपालगंज मो०-7667504547	20407 09618 4	Fino Bank, FINO0 00100 1	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० ज्ञांती देवी, 50, शम्भु राय, पिछड़ा जाति	शम्भु राय (पति)	52, 12.01.2026, 289, 18.03.2026	ग्रा०-चौदपुर, पो०-रेवतिथ, थाना+प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-8521818302	00781 04180 21	IPPB, IPOS0 00000 1	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

5	स्व० हरेश महतो, 36, रामाकान्त महतो, अत्यंत पिछड़ा जाति	रीना देवी (पत्नी)	77, 21.01. 2026 289, 18.03. 2026	ग्रा०-पिपरा खास, पो०-मीरगंज, धाना-मीरगंज, प्र०-हथुआ, जिला-गोपालगंज मो०-8292091184 5	44459 03353 8	SBI, SBINO 00013 3	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुप ए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर एवं मछली बेचने का कार्य
6	स्व० रामावती देवी, 63, रामाधार शर्मा, अत्यंत पिछड़ा जाति	रामाधार शर्मा (पति)	81, 21.01. 2026 289, 18.03. 2026	ग्रा०-पकड़ी, पो०-नेचुआ जलालपुर, धाना+प्र०- कुचायकोट, जिला-गोपालगंज मो०-9065161593	36432 50290 2	SBI, SBINO 00602 4	रु० 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
7	स्व० सुनैना देवी, 57, विपिन ठाकुर, अत्यंत पिछड़ा जाति	विपिन ठाकुर (पति)	84, 21.01. 2026 289, 18.03. 2026	ग्रा०-उत्तर बनकटी, पो०-महुआ, धाना+प्र०- बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-8427125119	20415 49906 5	FINO BANK, FINO0 00100 1	रु० 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर एवं पशुपालन का कार्य

कुल रु० 5,00,000/-
(पाँच लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-28/2025 - 159

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 16-06-2026 12:10:30

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।